उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-97/2019/1307/92-2-19-27जॉच/2018
लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त , 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 13.12.2018 में डब्लू0बी0एम0 (जी-2) एवं डब्लू0बी0एम0 (जी-3) में फिलर मैटेरियल/स्क्रैनिंग मैटेरियल की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-07/2019/90/92-2-19-27जांच/2018 दि0 08-01-2019 द्वारा श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ के पत्र सं0-194/ग्रा0अ0वि0/वैय0सहा0/पत्रा0-24/2019-20 दि0 01.06.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री हुसैन द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर जी-2, जी-3 पी0सी0 एवं सीलकोट का कार्य न कराये जाने एवं उक्त समस्त कार्य उनके उत्तराधिकारी, श्री परवेज अख्तर, तत्क0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति मृतक द्वारा कराये जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित दोनो आरोप स्थापित नही पाये गये।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलदंशहर सम्प्रति प्रखण्ड-मेरठ पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री हुसैन के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.01.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-97/2019/1307 (1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ।

3- श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर समप्रति प्रखण्ड-मेरठ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।